न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20 / 2022

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

श्री आशाराम पुत्र श्री सीताराम बीकानेर मिष्ठान भण्डार, संगरिया तहसील— संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह वराड़ राजकीय अभिभाषक
2 श्री राजेशदीप राय अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —17.03.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता मय नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय हाजा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जाँच करने हेतु कोर्ट रोड़, संगरिया स्थित बीकानेर मिष्ठान भण्डार पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में मालिक श्री आशाराम पुत्र श्री सीताराम उपस्थित मिले जिन्होने दुकान का निरीक्षण करवाया। तलाशी के दौरान दुकान में मिठाई बनाने हेतु भट्टियों में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (इण्डेन कम्पनी) और 6 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पाये जाने पर उक्त चारों गैस सिलेण्डरों को संगरिया स्थित प्रिया श्री गैस सर्विस के डिलीवरी मैन सतनाम पुत्र मलकीत सिंह निवासी रतनपुरा को सुपुर्द किये गये। श्री आशाराम पुत्र श्री सीताराम बीकानेर मिष्ठान भण्डार तहसील संगरिया का उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने तथा जब्त सिलेण्डर प्रकृत्या क्षयशील पदार्थ होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बीकानेर मिष्ठान भण्डार संगरिया भट्टीयों से जुडें पाये जाने का कथन करते हुए प्रार्थी से इण्डेन गैस कम्पनी के 4 घरेलू गैंस सिलेण्डर जब्त कर उक्त गैस सिलेण्डर को राजसात करने का निवेदन किया गया है। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा अपने मिष्ठान भण्डार पर उपयोग में नहीं लिया जा रहा था बल्कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के परिचित द्वारा अपने घरेलू उपयोग हेतु भरवाने के लिये होटल पर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

रखे हुए थे व प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को भी इस तथ्य से अवगत करवा दिया था लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी को कोई सुनवाई नहीं की गई बल्कि टारगेट पूरा करने की गर्ज से विधिविरूद्ध तरीका से प्रार्थी के होटल पर रखे घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर लिये गये है। प्रार्थी नेक्नियत व सद्भावी है। प्रार्थी अपने कारोबार में वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग करता है। इसलिए उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता है व प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे व प्रार्थी के मिष्ठान भण्डार से विधिविरूद्ध तरीका से जब्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी से मौके पर इण्डेन गैस कम्पनी के 4 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा इण्डेन गैस कम्पनी के 4 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डेन गैस कम्पनी के 4 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा भारत गैस कम्पनी के 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 19.9 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ़